राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांक प. 16(75) ME/Gr-1/2018 जयपुर, दिनांक 3 FEB 2020

आदेश

राज्य में Rajasthan Civil Services (MA) Rules, 2013 के अन्तर्गत राज्य के कार्मिकों एवं पेन्शनर्स के ईलाज हेतु निजी अस्पतालों को इम्पेनलमेन्ट किये जाने का प्रावधान है। इम्पेनलमेन्ट की प्रक्रिया में संबंधित निजी अस्पताल द्वारा नॉडल ऑफिसर प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है। उपरोक्त आवेदन के परीक्षण हेतु शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ/अधिकारी का गठन किया जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता हैः—

1. बहु—विशिष्टता चिकित्सालय के लिये

   (1) आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसुति रोग, संबंधित मेडिकल कॉलेज
   (2) आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मेडिसीन, संबंधित मेडिकल कॉलेज
   (3) आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक्स, संबंधित मेडिकल कॉलेज
   (4) मेडिकल कॉलेज में कार्यरत लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी

2. एकल विशिष्टता चिकित्सालय के लिये

   (1) संबंधित मेडिकल कॉलेज के संबंधित विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
   (2) संबंधित मेडिकल कॉलेज के संबंधित विभाग के 2 वरिष्ठ आचार्य (प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक द्वारा नामित)
   (3) मेडिकल कॉलेज में कार्यरत लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी

उपरोक्त कमेटी प्राप्त प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कर 7 दिवस में अपनी रिपोर्ट प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, संबंधित मेडिकल कॉलेज को प्रस्तुत करेगी, जो उपरोक्त रिपोर्ट को नोडल अधिकारी, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एस.एम.एस मेडिकल कॉलेज, जयपुर को अग्रेषित करेंगे।

3.2.20
(रामानन्द शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज (समस्त)
4. अन्य/रक्षित

3.2.2[illegible]
शासन उप सचिव